रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L.-(N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, अगस्त 21—अगस्त 27, 2011, शनिवार/श्रावण 30—भाद्र 5, 1933
No. 35] NEW DELHI, AUGUST 21—AUGUST 27, 2011, SATURDAY/SRAVANA 30—BHADRA 5, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 238.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 241.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय, कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन)	01*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी/स्वशासी/कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जिन्होंने नियमित आधार पर मूल संवर्ग/विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में वेतन बैण्ड-2 में या समकक्ष ग्रेड में मूल संवर्ग/विभाग में 5 वर्ष की सेवा; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :— (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि; (ii) अनुसचिवीय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान या रक्षा कार्य अध्ययन संस्थान से उन्नत प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से समकक्ष प्रशिक्षण; या कार्य अध्ययन/संगठन और पद्धति/विश्लेषण/सांख्यिकीय/आपरेशनल अनुसंधान और अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकों में दो वर्ष का अनुभव; या अनुसचिवीय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान से मूल प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से समकक्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और कार्य अध्ययन/संगठन और पद्धति/विश्लेषण/सांख्यिकीय/आपरेशनल अनुसंधान और अन्य प्रबंध तकनीकों में एक वर्ष का अनुभव । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 1 :** प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है । **टिप्पणी 2 :** आमेलन के लिए केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अर्हित अधिकारियों पर विचार किया जाएगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12011/4/2009-प्रशा. I]
मोहन लाल वाधवानी, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 12th August, 2011

G.S.R. 241.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment and Forests, Junior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Analyst (Work Study) in the Ministry of Environment and Forests, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Junior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of the posts, Classification and Scale of pay.**—The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed thereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Analyst (Work Study)	01* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' 'Gazetted', Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 (Grade Pay Rs. 4600)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract)/ absorption.	**Deputation (including short-term contract)/absorption:** Officers of the Central Government/State Governments/Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/ Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organizations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree from a recognized University; (ii) Have successfully completed the Advanced Management Service Course of the Institute of Secretariat Training and Management or Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other recognised Institution; OR Having two years' experience in the application of Work Study/Organisation and Methods/Analytical/ Statistical/Operations Research and other Management Research Techniques; OR Have successfully completed the Basic Management Service Course of the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training in any other recognised Institution and having one year's experience in the application of Work Study/Organisation and Method/Analytical/Statistical/Operations Research and other Management Research Techniques. [Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)/absorption shall not be

	(11)
	exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.] **Note 1 :** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Note 2 :** Only officers of Central/State Governments/Union Territories are eligible for being considered for absorption.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.

[F. No. A-12011/4/2009-P. I]

M. L. WADHWANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 242.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय, विभागीय कैंटीन समूह "ग" और समूह "घ" पद, भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय की विभागीय कैंटीन में समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, विभागीय कैंटीन समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।